

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान,
“पंजीयन-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ.7(42)जन/प्रशासन शहरो/गांवों के संग अभियान/2021 /12339-55 दिनांक : 01-10-2021

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।

विषय : प्रशासन शहरों/गांवों के संग अभियान 2021 के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों/गांवों के संग अभियान 2021 के तहत पट्टा विलेख के पंजीयन से संबंधित आवश्यक जानकारी की सूचना शिविर स्थल पर फ्लेक्स बैनर्स बनाकर लगाने हेतु नमूना पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इस संबंध में आपके स्तर से समस्त अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों को बैनर्स बनवा कर प्रत्येक शिविर स्थल पर लगाने के निर्देश प्रदान करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

27-8
(ओंकार मल) 1.10.21
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

प्रशासन शहरों/गांवों के संग अभियान-2021

पट्टा विलेख के पंजीयन से संबंधित आवश्यक जानकारी

1. पट्टा विलेख का पंजीयन कराया जाना कानूनन आवश्यक हैं।
2. पट्टा विलेख के पंजीयन नहीं होने पर पट्टा विलेख विधिक रूप से उपयोग में नहीं लिया जा सकता हैं।
3. पट्टा विलेख का पंजीयन पट्टा जारी होने की दिनांक से 4 माह तक पंजीबद्ध कराया जा सकता है। तत्पश्चात् 4 माह तक शास्ति एवं अतिरिक्त राशि पर पंजीबद्ध होगा।
4. अपने पट्टे को तत्काल पंजीबद्ध करायें।
5. आपकी सुविधा के लिए शनिवार को भी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे।